फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

लालचन्द बनाम चेतन वगै0

संख्या : बाजदायरी प्रार्थना पत्र 14/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
07.08.2025	प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 पर एवं धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने जाहिर किया की पत्रावली दिनांक 18.5.2018 को केम्प कोर्ट जयरामपुरा मे सुनवाई हेतु पेश हुई लेकिन प्रार्थी वादीगण को उक्त कैम्प कोर्ट जयरामपुरा की सुनवाई की पूर्व सूचना नही होने के कारण उक्त पेशी पर केम्प कोर्ट मे उपस्थित नही आये व पत्रावली दिनांक 10.07.2018 गे न्यायालय आगागी पेशी 10.07.2018 नियत की गई जिसकी जानकारी वादीगण को नही थी। तारीख पेशी 10.07.2018 को कोई सुनवाई नही की गई व आगामी पेशी 29.08.2018 नियत की गई। दिनांक 29.08.2018 को वाद वादी अदम पेरवी अदम हाजरी मे खारिज कर दिया गया। गैर हाजरी इरादतन नही थी बल्कि कैम्प कोर्ट मे जानकारी नही होने से सदभावी तोर से गैर हाजरी थी जो क्षमा योग्य है। इसके अतिरिक्त मार्च सन 2020 तक कोरोना महामारी के चलते अधिवक्ता महोदय से भी सम्पर्क नही हो सका एवम इसी दौरान 17.07.2021 को श्री लालचन्द का व दिनांक 09.07.2021 को गंगारामं वादी संख्या दो का देहान्त हो गया विलम्ब अवधि क्षमा किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्त० धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का बाजदारी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने व मूल वाद संख्या 119/11 को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश फरमावे।	

सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:49 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

लालचन्द बनाम चेतन वगै0

केस संख्या : बाजदायरी प्रार्थना पत्र 14/2024

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
		हमने बहाली आवेदन के साथ–साथ सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत इसे दाखिल करने में देरी की माफी के लिए दायर प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहाली के लिए आवेदन में, सभी प्रासंगिक तथ्य न केवल यह दिखाने के लिए बताए गए हैं कि वादी के पास 29.08.2018 को गैर–हाजिर रहने का पर्याप्त कारण था, बल्कि बहाली आवेदन दाखिल करने में देरी की माफी के लिए भी पर्याप्त कारण बताए गए हैं। यही कारण है कि देरी की माफी के लिए याचिका में, यह केवल कहा गया है कि बहाली आवेदन में बताए गए तथ्यों को बहाली आवेदन दाखिल करने में देरी की माफी के लिए ध्यान में रखा जा सकता है । आदेश के मात्र अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि 29.08.2018 को गैरहाजिर रहने के लिए बहाली आवेदन में बताए गए आधारों के साथ–साथ बहाली आवेदन दाखिल करने में देरी को को स्वीकार किया जा सकता है। तदनुसार, प्रार्थना आदेश 9 नियम 9 एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर मूलवाद संख्या 119/2011 बउनवानी लालचन्द बनाम चतन को पुनः नम्बर पर [illegible] कर आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर